461

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई, 1998 (श्रावण 9, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची मे सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम मर्यादित, भोपाल का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष के लिये पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जालम सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित -

(क) अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-11-97-बाईस-पं.-2, दिनांक 22 मई, 1998,
(ख) अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-50 (1)-95-बाईस-पं.-2, शुद्धि पत्र दिनांक 26 मई 1998,
(ग) अधिसूचना क्रमांक एफ-1-50(2)-95-बाईस-पं.-2, शुद्धि पत्र दिनांक 26 मई, 1998; तथा
(घ) अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-50(3)-95-बाईस-पं-2, शुद्धि पत्र दिनांक 26 मई, 1998,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 16 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-41-98-विक-पांच (22), दिनांक 14 मई, 1998 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, जल संसाधन मंडल रायपुर एवं दुर्ग में निविदा स्वीकृति मे अनियमितता होने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री ईश्वरदास रोहाणी, बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर के आंगनवाड़ी केन्द्रों में घटिया पौष्टिक आहार प्रदाय किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रामबरन सिंह गुर्जर, सदस्य, ग्वालियर एवं सागर दुग्ध संघ के कर्मचारियों को वेतन न मिल पाने की ओर डेयरी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के ग्राम चंदनहारी से हिनौतिया मार्ग के निर्माण में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री बच्चन नायक, लक्ष्मीकांत शर्मा, रघुनंदन शर्मा, सदस्य, झाबुआ जिला जेल से अनेक कैदी फरार होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री कमल पटेल, ईश्वरदास रोहाणी, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़वानी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नर्मदा घाटी विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, पशु चिकित्सा संचालनालय द्वारा तरल नत्रजन खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर पशुधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल के बैरसिया रोड स्थित कृषि उपज मंडी हेतु अधिगृहीत भूमि पर अवैध कब्जा होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, इंदौर स्थित महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय में घटिया स्तर की दवायें पाये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल स्थित हमीदिया चिकित्सालय के बच्चों के सामान्य वार्ड मे भर्ती बच्चों की मौत होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री अखंड प्रताप सिंह, चतुरीलाल बराहदिया, डॉ. नरेश सिंह गुर्जर, सदस्य, ग्वालियर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में अपहरण की घटनाएं होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 166-खैरथा के सदस्य, श्री प्यारेलाल बेलचंदन को जुलाई-अगस्त, 1998 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. याचिका की प्रस्तुति

श्री सुनील जैन, सदस्य, सागर जिले के निरन्धरपुरा एवं झिरिया जलाशय का कार्य प्रारंभ कराये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री आलम सिह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 20 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन विधेयक, 1998 (क्रमांक 23 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 26 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 30 मि. — (4) श्री हजारीलाल रघुवंशी, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 18 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. — (5) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 19 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. — (6) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 21 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (शेष 20 मि.) — प्रदेश में हैजा, मलेरिया, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर, गलघोटू आदि संक्रामक बीमारियों के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

8. अशासकीय विधि विषयक कार्य

40 मि. — श्री सुरेन्द्र सिह सिसोदिया, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा विधेयक, 1998 (क्रमांक 15 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. अशासकीय संकल्प

(1) सर्वश्री शैलेन्द्र प्रधान, सुरेन्द्र वर्मा, गिरिराज मण्डलोई, चौधरी राकेश सिंह, अशोक नवरतन सांखला तथा श्री कमल पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. — "सदन का यह मत है कि राज्य शासन प्रदेश में पोलीथीन बैग (पन्नी) के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने हेतु कानून बनाये."

(2) श्री बच्चन नायक तथा श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. — " सदन का यह मत है कि प्रदेश में प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट फसलो की क्षतिपूर्ति कृषकों को उनके रकबे के लागत मूल्य के बराबर दी जाय."

(3) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. — " सदन का यह मत है कि स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्ण जयंती वर्ष में राज्य शासन महारानी लक्ष्मी बाई के ग्वालियर स्थित समाधि स्थल के पर्याप्त विकास हेतु एक निधि की स्थापना करे और इस पवित्र स्थल को राष्ट्रीय महत्व एवं युवाओं में राष्ट्रीय भावना के विकास के लिये गौरव स्थल के रूप में बनाये जाने हेतु समस्त आवश्यक पहल करे."

भोपाल :
दिनांक : 30 जुलाई, 1998

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा